|

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 37 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 देवाराम पुत्र हरजी जाति जाट निवासी रेपडावास तहसील सोजत जिला पाली।		1. गंगादेवी पुत्री विशनाराम 2. गीतादेवी पुत्री विशनाराम 3. पानीदेवी पुत्री विशनाराम 4. मृतक भंवरलाल पुत्र विशनाराम के का.मु. 4 / 1 माडी देवी पत्नि भंवरलाल 4 / 2 कैलाश पुत्र भंवरलाल 4 / 3 मोटाराम पुत्र भंवरलाल 4 / 4 कालची पुत्री भंवरलाल 4 / 5 हेमा पुत्री भंवरलाल 5. विरदाराम पुत्र विशनाराम 6. शिवलाल पुत्र विशनाराम जातिगण जाट निवासीगण रेपडावास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी, श्री राजेन्द्र चौधरी अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक :– 13/07/2024

–: निर्णय :–

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रेपडावास पटवार हल्का रेपडावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाडवास तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 197 रकबा 0.7600 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 30 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 198 रकबा 0.9100 है0 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा मुख्य सडक से निकटतम रास्ता प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा रेपडावास के खसरा नंबर 198 में से दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 3, 4 / 1 से 4 / 5 तथा 6 बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 05 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दवे ने वकालतनामा पेश किया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना बंद किया जाता है।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यातिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1130 दिनांक 14.03.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चाड़वास, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि सरहद मौजा रेपड़ावास के ख0नं0 197 के नजदिकी रास्ता ख.नं. 200 किस्म गै0मु0 रास्ता के बीच ख.नं. 198 आ रहा हैं। जिसकी दूरी 80 मीटर हैं। प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 80×5 = 0. 0400 है0 दिया जाना उचित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 133954/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (133954/- रू0 × 2 × 0.0400 है0 = 10716.32/- रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0नं0 198 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चाड़वास की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम रेपड़ावास के खसरा नम्बर 197 रकबा 0. 7600 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 198 रकबा 0.9100 है0 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहां सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चाडवास, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 198 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

-: **आदेश** :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम रेपड़ावास के खसरा नम्बर 197 रकबा 0.7600 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 198 रकबा 0.9100 है0 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 198 में से (133954/- रू0 × 2 × 0.0400 है0 = 10716.32/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये ज़ाते है:-

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	198 बा.अ.	0.9100 है0	गंगादेवी पुत्री विशनाराम हि0 1/6	80 मी0 × 5 मी0 = 0.0400 है0	1786.05 /-रू
02.			गीतादेवी पुत्री विशनाराम हि0 1/6		1786.05 /-रू
03.			पानीदेवी पुत्री विशनाराम हि0 1/6		1786.05 /-रू
04.			माडीदेवी पत्नि भंवरलाल हि0 1/30		357.21/- रू
05.			कैलाश पुत्र भंवरलाल हि0 1/30		357.21/- रू
06.			मोटाराम पुत्र भंवरलाल हि0 1/30		357.21/- रू
07.			कालची पुत्री भंवरलाल हि0 1/30		357.21/- रू

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

					357.21/– रु
08.			हेमा पुत्री भंवरलाल हि0 1/30		1786.05 /–रु
09.			विरदाराम पुत्र विशनाराम हि0 1/6		1786.05 /–रु
10.			शिवलाल पुत्र विशनाराम हि0 1/6		

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 18/07/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)